संख्या–पी0–290/81–2–2022–800(67)/2012

6165
CCF(Nodal)

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 6 सितम्बर, 2022

विषय– जनपद–सोनभद्र में रेणुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु लीज पर हस्तांतरित 3.79 हे0 आरक्षित वन भूमि को पूर्व में आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग करने हेतु 25 वर्षों (दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2038 तक) की लीज नवीनीकरण के संबंध में।(प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/Others/19811/2016)**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–399/11–सी, दिनांक 29.07.2022 (मूलरूप में) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुये अपनी संस्तुति सहित स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

(1) दिनांक 09.05.2012 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के विचाराधीन रहते हुये ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/19811/2016 मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव क्यों उपलब्ध कराया गया ? स्थिति स्पष्ट किया जाय।

(2) प्रस्तावित वन भूमि मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट, मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को कितनी अवधि के लिये दिया गया था ? अलग–अलग समयावधि अंकित किया जाय।

(3) क्या प्रकरण में हुए उल्लंघन के फलस्वरूप भारत सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 29.01.2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है ? मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर के पत्र दिनांक 20.07.2022 के बिन्दु–4 में अंकित है कि भारत सरकार के आदेश दिनांक 29.01.2018 का बिन्दु–बी का प्राविधान आकर्षित नहीं होता है। क्यों ?

क्रमशः-2-

(4) प्रयोक्ता एजेंसी निजी संस्था होने के बावजूद भी पत्र दिनांक 29.07.2022 के बिन्दु–9 में प्रभावित आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों की अनुरक्षण व्यवस्था अंकित की गयी है। क्यों ?

(5) प्रस्तावानुसार वर्तमान में मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग हेतु दिया जाना है, किन्तु प्रकरण के विषय में मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को दिये जाने का उल्लेख है ?

(6) क्या उक्त प्रस्ताव का परीक्षण भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन दिशा– निर्देशों दिनांक 28.06.2022 के आलोक में परीक्षण किया गया है ?

(7) दिनांक 03.02.2021 को हुयी बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु–3 के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है, कारण स्पष्ट किया जाये।

(8) शासनादेश दिनांक 16.01.1996 के शर्त संख्या–9 का अनुपालन एवं पट्टा विलेख निष्पादन की प्रति उपलब्ध करायी जाये।

संलग्नक–यथोक्त (मूल रूप में)

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
3. अधिकृत प्रतिनिधि, मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 904 /11–सी–FP/UP/Others/19811/2016, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 08 ,2022

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करते हुये इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें तथा प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से इस कार्यालय से प्राप्त करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करते हुये इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें

प्रतिलिपि– अधिकृत प्रतिनिधि, मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।